न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–170/2022

दिव्य कुमार पुत्र श्री दशरथ जाति बिश्नोई निवासी 16 एलजीडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिये मुख्यारनामा आम दशरथ पुत्र श्री हरीराम जाति विश्नोई निवासी चक 16 एलजीडब्लयू थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़राजस्थान।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक	प्रार्थी
2. श्री संजय चाण्डक	अप्रार्थी 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–26/09/2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री मदन लाला पारीक की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कियह कि प्रार्थी शिक्षा कार्य में व्यस्त होने के कारण अपनी सम्पति व कृषि भूमि की सार सम्भाल, अन्य कार्यवाही व न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु अपने पिता श्री दशरथ बिश्नोई को मुखत्यार आम नियुक्त किया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र मुखत्यार आम दशरथ के जरिये पेश किया जा रहा है। चित्रप्रति दस्तावेज मुखत्यारनामा आम दिनांक 21.12.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी दिव्य कुमार के नाम से चक 16 एलजीडब्लयू के प.न. 1/297 (43) कि.न. 12–13–14–15/2 में 0.848 हैक. भूमि व प.न. 4/293 (46) कि.न. 1/1, 1/2, 2/12/2 9/1, 10 में 0.899 हैक. नहरी व 0.050 हैक. खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 राजकुमार के नाम चक 15 एलजीडब्लयू के प.न. 1/297 (43) कि.न. 11 में 0.253 हैक. नहरी, प.न. 2/295 (20) कि.न. 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 की 0.506 हैक. नहरीमय रास्ता खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक 16 एलजीडब्लयू स. 2076–2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि चक 16 एलजीडब्लयू के प.न. 1/297 के पश्चिम दिशा में चक 16 एलजीडब्लयू की आबादी बसी हुई है। इस आबादी के पूर्व दिशा में एंव प.न. 1/297 के किला न 1–10–11–20–21 के पश्चिम दिशा में आम रास्ता है जो चालू है। अप्रार्थी स. 1 के किला न. 11 से सामने पश्चिम दिशा से भी आबादी से रास्ता आता है जो चालू है। नजरी नक्शा संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि [illegible] स्थित प.न. 1/297 (43) कि. न. 12–13–14–15/2 में आबादी [illegible] से होकर प.न. 1/297 के किला न. 11 के दक्षिण दिशा में से 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता से अपने कि.न. 12 में प्र[illegible] था और इसी रास्ता से आना जाना करता रहा है। इ[illegible] रास्ता के अलावा प्रार्थी [illegible] खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि अप्रार्थी स.1 ने अब कुछ समय पूर्व इस कि.न. 11 में चल रहे रास्ते को बन्द कर दिया है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आना जाना असंभव हो गया है। प्रार्थी की इस भूमि की बगैर रास्ता फसल काश्त नही हो रही है जिस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हो रही है। प्रार्थी की भूमि बिना रास्ता के काश्त के अभाव में बंजर हो जायेगी। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। प्रार्थी सरकारी नियमानुसार रास्ता के बदले डी.एल.सी. दर पर प्रतिफल राशि अदा करने के लिए तैयार है।
यह कि अप्रार्थी स. 2 को भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फिस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 16 एलजीडब्ल्यू के प. न. 1/297 (43) कि.न. 11 के उत्तर दिशा में पुर्व से पश्चिम लम्बा .025 हैक. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवकता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार है–यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में दर्ज कथनों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर है। इस मद में दर्ज कथन अप्रार्थी से असम्बन्धित होने के कारण अस्वीकार है ।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है। जिन्हे न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर ही है ।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में दर्ज समस्त कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर ही है।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में प्रार्थी के द्वारा अपने रकबे तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी के प0नं0 1/297 के कि0नं0 11 की बाबत जो–जो कथन दर्ज किए है वे पूर्णतयः असत्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थी को अपने रकबे तक आने–जाने हेतु मजुंरशुदा मार्ग से अप्रार्थी के रकबे के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग मोजुद है किन्तु प्रार्थी रास्ता की मांग की आड़ में केवल मात्र मोके पर अशान्ति कायम करना चाहता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की मन्शा कुछ भी नहीं है। प्रार्थी का उक्त अनवान का जैरकार प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 6 में दर्ज समस्त कथन असत्य, मनगढ़ंत एंव बिना दस्तावेजी प्रमाणों के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है।
यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 8 में अंकित कथनों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर है।
इसी मद के अन्त में प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय से जो अनुतोष चाहा है वह पूर्णतयः मोका पर वर्तमान में चली आ रही व्यवस्था के विपरित दर्ज किए हुए होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त निवेदन

यह कि अप्रार्थी राजकुमार पुत्र रिछपाल के धारण में चक 16 एल.जी. डब्ल्यू. के खाता संख्या– 133/111 के प0नं0 1/297 43 के कि0नं0 11/0.253 है0 व प0नं0 2/29520 के कि0नं0 5/1 ता 6/2 में 0.506 है0 कुल 0.759 है0 नहरी म... ...रास्ता व खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
यह कि अप्रार्थी राजकुमार पुत्र रिछपाल के ... प0नं0 1/297 43 के कि0नं0 11 में वर्तमान में मोका पर पश्चिम दिशा की ... से दक्षिण दिशा एंव पूर्व पश्चिम में 2–2 बिस्वा कृषि भूमि पर खाला चल रहा है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी के पास इस किला में केवल मात्र 16 बिस्वा कृषि भूमि ही काश्त योग्य शेष रह जाती है। इसमें भी यदि प्रार्थी की अनुचित मांग के अनुसार 2 बिस्वा कृषि भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत कर ली जाती है तो अप्रार्थी के पास काश्त योग्य भूमि ओर कम हो जावेगी। यह कि प्रार्थी के पास प0नं0 1/297 के कि0नं0 10 के दक्षिण दिशा में मंजुरशुदा मार्ग से पूर्वदृपश्चिम दिशा में होते हुए कि0नं0 9 के कोने से होते हुए अपनी कि0नं0 12 की भूमि में प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी वर्तमान में इस

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:01 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का लाभ भी ले रहा है। प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की मन्शा से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र पर श्रीमान न्यायालय के द्वारा तहसील से वादाधीन कृषि भूमि की बाबत मोका व राजस्व रिकार्ड की रिर्पोट लिए जाने के आदेश हुए थे। प्रार्थी जो कि राजस्व कर्मियों से सांठ–गांठ करने में काफी दक्ष है। अपनी इसी दक्षता के चलते जो रिर्पोट तहसील से पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है उसकी बाबत प्रार्थी राजस्व कर्मियों से मिलकर अपने फायदे अर्थात हित की रिर्पोट तैयार करवाकर पत्रावली पर प्रस्तुत करवाई गई है। जो रिर्पोट पत्रावली पर प्रस्तुत हुई है वह केवल मात्र राजस्व रिकार्ड से सबंधित है मोका की सही एंव स्पष्ट रिर्पोट पेश ही नहीं की गई है। जब कि श्रीमान न्यायालय का मोका की रिर्पोट दिए जाने का स्पष्ट आदेश था।

यह कि प्रार्थी के पास अपने रकबे तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग मोजुद है। ऐसी स्थिती में वह अप्रार्थी के काश्त योग्य बचे हुए रकबे से किसी भी प्रकार का अनुतोष इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का कतई हकदार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा बिना किसी आवश्यकता के एंव वैकल्पिक व्यवस्था होते हुए प्रार्थी के काश्त योग्य बचे हुए रकबे में से रास्ता दिए जाने का जो अनुतोष चाहा गया है वह खिलाफ रिकार्ड, खिलाफ न्याय के सिद्वांतो के एंव मोके की वास्तविक स्थिती से बाहर जाकर दर्ज किया हुआ होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 645 दिनांक 29.07.2025 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार –प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाले रकबा में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार समसत भू–धारकों को पक्षकार बनाया गया है। कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एवं अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के द्वारा प्रस्तावित रास्ता की दूरी समान है परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर क्योंकि खाला बना हुआ हैं। जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किला नं. 11 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर मौके पर चल रहा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा प्रस्तावित रास्ता की दूरी समान है परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर क्योंकि खाला बना हुआ हैं। जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किला नं. 11 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर मौके पर चल रहा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सहमती प्रस्तुत कर प्रश्नगत किला न. 11 के उत्तर दिशा में चल रहे खाला को छोड़ते हुए खाला के दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता पूर्व पश्चिम स्वीकृत फरमाया जावे एवं किला न. 12 के उत्तर पश्चिम कोने 3 बिस्वा समान्तर भूमि छोड़ते हुए किला न. 11 के चिपती हुई 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित की जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सहमती /राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत किला न. 11 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता .025 है. रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है तथा किला न. 12 में से किला न. 11 की चिपता हुआ 0.025 है. रकबा अप्रार्थी के नाम दर्ज करने निवेदन किया है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस [illegible] प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि किला न. 11 के उत्तर [illegible] खाला के दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता पूर्व पश्चिम स्वीकृत [illegible] जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि किला न. 11 के उत्तर दि[illegible] पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 25 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे। हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा प्रकरण में मौका निरिक्षण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका पर किला न. 11 में दक्षिण दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि 2 भागों में विभाजित होने की स्थिति उत्पन्न होती है इस लिए किला न. 11 के उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है इस लिए चक 16 एलजीडब्लयू के प. न. 1/297 (43) किला न. 11 के उत्तर दिशा में पूर्व से

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पश्चिम लम्बा रास्ता 0.025 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है जिसके प्रतिकर के रूप में प्रार्थी के किला न. 12 की 0.025 है0 भूमि रास्ता की दिशा को छोड़ते हुए अप्रार्थी के किला न. 11 के साथ चिपती हुई भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 26/09/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:01 IST
Reason: SelfAttested